From

Director General State Transport, Haryana, Chandigarh.

To

- 1 All General Managers
- 2 Senior Mechanical Engineer, Govt. Central Workshop, Haryana, Chandigarh.
- General Manager,Driver Training School,Murthal.
- 4 General Manager/DTC, Haryana Roadways Central Workshop, Karnal/Hisar.
- General Manager,Haryana Roadways Engineering Corporation,Gurgaon.

Memo. No. 3554-80 EA3/E1 Dated: 23-02-12

Subject:

Regarding earned leave of Class-I and II officers.

Reference on the subject cited above.

It has come to the notice of the headquarter that some field officers have not sent the application/request for earned leave of Class-I and Class-II officers to the sanctioning authority in the prescribed proforma. It has been further observed that the request/application for such leave are not being sent well in time.

You are, therefore, directed to ensure that no request/application for earned leave are sent to the headquarter without the prescribed proforma and late as well. Besides, it should also be specifically mentioned in the application/request as to how many earned leaves are credited in the account of the officer concerned.

These instructions may be brought into the notice of all officers working under the control of head of the office.

The above mentioned instruction be complied with meticulously.

for: Director General State Transport, Haryana, Chandigarh. प्रेषक

महानिदेशक राज्य परिवहन. हरियाणा चण्डीगढ।

सेवा में.

- सभी महाप्रबन्धक, 1. हरियाणा राज्य परिवहन,
- वॅरिष्ठ यांत्रिक अभियन्ता, 2. राजकीय केन्द्रीय कर्मशाला हरियाणा, चण्डीगढ।
- उडनदस्ता अधिकारी, 3. आई.एस.बी.टी. दिल्ली।
- महाप्रबन्धक, 4. ड्राईवर ट्रैनिंग स्कूल, मुरथर ।
- महाप्रबन्धक / उप परिवहन नेयंत्रक 5. हरियाणा राज्य परिवहन के द्वीय कर्मशाला, करनाल / रोहतक।

कमांक 7258 -83 ईए3, ई1

दिनांक 15/5/2012

अर्जित अवकाश के बारे में। विषय:-

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 8599-8643 / ईए 3 / ई1, दिनांक 09.08.2011 के संदर्भ में।

मुख्यालय के नोटिस में आया है ि कुछ महाप्रबन्धक अपने स्तर पर ही श्रेणी-11 के अधिकारियों के अर्जित अवकाश अपने स्तर र ही स्वयं स्वीकृत कर देते हैं, जिससे इस कार्यालय ने अति गम्भीरता से लिया है क्योंकि श्रेगी न व ॥ के अधिकारियों के अर्जित अवकाश स्वीकृत करने की शक्तियां उक्त आदेशो अनुसार गुख्यालय स्तर पर है।

अतः आप सभी को निर्देश दिए ज ते है कि अपने अधीन किसी भी श्रेणी—॥ के अधिकारियों के अर्जित अवकाश अपने स्वयं के र तर पर स्वीकृत ना किए जाए तथा मुख्यालय के द्वारा इस सम्बन्ध में जारी पत्र कमांक 3554-80/ईए3/ई1, दिनांक 23.02.2012 की पालना की जाए। यदि ऐसा कोई केस भविष्य में पाया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

कृतेः महानिदेशक, राज्य परिवहन हरियाणा, चण्डीगढ़।